

ग्राम पंचायत-

बनकटा

विकास स्थण्ड

ल/हार

जनपद-

गाजीपुर

ग्राम

दिनांक

१५/६/२३

विषय:- जल जीवन मिशन (जर घर जाल) के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल हेतु पानी की टंकी के निर्माण, संचालन व अनुरक्षण के सम्बन्ध में।

मतावय

अवगत कराना ह कि दिनांक 17/6/23 को प्रातः 10:00 बजे से पंचायत भवन परिसर में ग्राम पंचायत ने निवास करने वाले प्रत्येक परिवारों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु खुली वैठक की गयी। वैठक ने ग्राम पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, लेखपाल, प्राथमिक / जूहाइस्कूल के प्रधानाचार्य, अध्यापक, शिक्षामित्र, औंगनवाडी कार्यकर्ता / गतायिका, कांटेदार, ए०एन०एम० एवं आशा द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उक्त वैठक में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं हेतु दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत में निवास करने वाले प्रत्येक परिवारों से परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान किए जाने तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निर्धारित यूजर वार्ज जमा किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। ग्राम पंचायत के लगभग प्रतिशत परिवारों द्वारा निर्धारित लागत अंशदान एवं यूजर चार्ज जमा करन की सहमति दी गयी है। परिवार के गुणिया द्वारा दी गयी सहमति पत्र संलग्न है।

जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजना के क्रियान्वयन तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सहमति है।

अल: अनुरोध है कि कृपया यथाशीघ्र ग्राम पंचायत में पाइप पेयजल योजना का निर्माण कराने हेतु अवश्यक कार्रवाही कराने का काट करें।

रामगनाक: परिवारों द्वारा हरताक्षरित सहमति पत्र।

भवदीय,

सीता

(इस विवरण का अनुमति दिया गया है)
लालबाजार, गाजीपुर
५० खण्ड-सावत, गाजीपुर
ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत निवायत समिति
५० खण्ड-सावत, गाजीपुर

मिशन
M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi (U.P.)



ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की 'जीवन सुगमता' को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। (ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी हैं और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी हैं। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है)

1. तैयारी की तारीख: 23/7/23

ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख: 17/6/23

डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख:

2. ग्राम का नाम: पानीपता

ग्राम पंचायत का नाम: पानीपता

ब्लॉक का नाम: आपूर्व

जिला का नाम: गाँवपा.पू.र.

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश

ग्राम जनगणना कोड:

(यदि लागू हो तो, वर्सितयों की संख्या और उनके नाम)

I. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा : (संख्या) मवेशी कुंडों को और 5 (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात् 7 घन्टे निर्धारित गुणवत्ता • वाले..... एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष 25, तक 43.1 ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना

हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनत्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने मीठे पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूँजी लागत का 10%, प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिगणित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

* पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

II. ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी?

(ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति):

समिति को क्या कहा जाता है: पानीपता वी.डब्ल्यू.एस.सी.

अध्यक्ष का नाम: शतांक देवा

लिंग: महिला

आयु: 40

प्रीति
ग्राम पंचायत समिति
नियम पंचायत-प्रतिवार
खण्ड-मानव, गाँवीकरण

M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi(U.P.)

III. सामान्य विवरण

6.


2011 का जनसंख्याके जनसंख्या	१५६४७	वर्तमान प्रयोगशील रिकॉर्ड के अनुसार जनसंख्या	१६६
परिवर्तन के संख्या	१०२	परिवर्तन के संख्या	१०
प्रतिशत के संख्या	०६%	प्रतिशत के संख्या	००
प्रत्या नो संख्या	२४	प्रत्या नो संख्या	२०
विचार की जनसंख्या	२४	विचार की जनसंख्या	२०
प्रत्या नो संख्या	२४	प्रत्या नो संख्या	२०

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती चरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): 16 किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम चरण
- वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): 53.4 किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मवेशी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): 350

9. कृषि फसल पैटर्न: _____

10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. में): १५८ — १७० से १७५11. स्थलाकृति (समतल, ढालान, आदि): १५८

IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? (हाँ / नहीं)
(‘ग्राम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें)हाँ13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हाँ / नहीं)
(‘ग्राम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें)हाँ

14.	जनसंख्या	जनविविकास संस्कार का नाम	क्या एफ.एस.टी.सी. उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	क्या उत्तर जिला संघर्ष संरचना उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	सोडा गड्ढो को उपलब्ध कराया गया है? (हाँ/नहीं)
1.	समतल				
2.	आंगनबाड़ी				
3.	स्तनास्थी जिला				
4.	ग्राम सम्मानित क्षेत्र		<u>हाँ</u>		
5.	स्तनास्थी जिला				

पानी की कुल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 60.43 के.एल.डी.
 मवेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: 23.83 के.एल.डी.
 मवेशी कंडों की आवश्यक संख्या: 2
 मध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 73.66 के.एल.डी.
 अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 40.33 के.एल.डी.

पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/चक्रवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न,
 पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति: _____
 17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टंकियाँ, रेत गाड़ियाँ आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति।
 18. पानी की आपूर्ति से संबंधित अंशिक स्राव, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त
 19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त: मरीज़ी, ८५१३८, बिमारी सुखावा
 पानी की गुणवत्ता
 20. फ़ील्ड परीक्षण किट / वायरल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीख: _____
 21. सैनिटी निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख: _____
 22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/ प्रस्तावित पेयजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत का नाम (अवस्थिति): _____

मासिक	तीव्रीका	परिणाम
मरुस्थली	सूखा/अकाल	
पीएच	पठार स्तर तुलना	
पानी लवण्यता	पठार गोल्डन विप्र	
आणी जारीता	पठार गोल्डन विप्र	
चलोराइज़	पठार गोल्डन विप्र	
आगोन्या	पठार गोल्डन विप्र	
स्वस्थी	पठार गोल्डन विप्र	
मेवागढ़ चलोराइज़	पठार गोल्डन विप्र	
मायरना	पठार गोल्डन विप्र	
नाइट्रिट	पठार गोल्डन विप्र	
फ्लोराइज़	पठार गोल्डन विप्र	
आमोनिक (हाइस्प्रोट में)	पठार गोल्डन विप्र	

कपड़े धोने / स्नान करने का स्थान

23. यह संभावना है कि गाँव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/ या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/ स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं: _____

अवस्थिति का नाम	प्रति की संख्या	जालदी

स्रोत स्थायित्व

24. भू-जल स्रोत के नामले में, क्या बोरवेल रिचार्ज संरचना है? (हाँ/नहीं) दो25. गाँव में उन मौजूदा जल भंडारों की सूची जिनका कागजाकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है: तलाव

गंदले जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): 16.33 के.एन.डी.अलग-अलग सोखता गड्ढों वाले परिवारों की संख्या: 4उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोखता गड्ढों की आवश्यकता है: 8आवश्यक सामुदायिक सोखता गड्ढों की संख्या: 6क्या अपशिष्ट तलछट तालाब की आवश्यकता है? (हाँ / नहीं): हाँयदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है: अभी नहीं

यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के कौन से उन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए?

V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:

- अंतिम छोर तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
- पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
- निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/सिंप्रिंग वाटर/ स्थानीय या धरातली जल वाले गाँवों में एस.वी.एस.
- शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गाँवों में एस.वी.एस.
- वाटर ग्रिड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
- मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकान्त/आदिवासी बसितियों में स्थित हैं

28. अभिनिर्धारित जल स्रोत: _____ तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के

आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: जल जीवन प्रियइस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि: ग्राम पंचायत २०२३-2024वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी: 2024योजना की लागत: 2.80 लाख भारत सरकार का हिस्सा: × राज्य का हिस्सा: ×समुदाय का हिस्सा: 10% व्यक्तिगत घरेलू अंशदान:वार्षिक प्रचालन व रख-खाल शुल्क: × व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क/

प्रयोक्ता शुल्क: _____ कोई दूसर्य बसावट हो तो, अभिनिर्धारित

पी.डब्ल्यू.एस.: _____

VI. मेल-जोल

(निम्नलिखित तालिका में उन संभवित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/ निधि मेल-जोल संभव है। याम समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

प्रोजेक्ट का नाम	प्रोजेक्ट का विवर	प्रभावित ग्रामों का नाम	प्रस्तावित निधि
स्ट्रेट ग्राम	मरम्मत का विवर	ग्राम नाम	ग्राम नाम
स्ट्रेट ग्राम	ग्राम नाम	ग्राम नाम	ग्राम नाम
स्ट्रेट ग्राम	पर्याप्त जल आपूर्ति का विवर	पर्याप्त जल आपूर्ति का विवर	पर्याप्त जल आपूर्ति का विवर
स्ट्रेट ग्राम	जल आपूर्ति का विवर	जल आपूर्ति का विवर	जल आपूर्ति का विवर



योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	संभावित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	भूग्रे संसाधन विभाग	वाटरशेड प्रबंधन/ आर.डब्ल्यू.एच./ कृषि पुनर्जीवन, जल निकायों का निर्माण/ वृद्धि आदि।	
जल भंडारों की मरम्मत, नवीनीकरण और जीणांदार	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल भंडारों का जीणांदार	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण	वाटरशेड से संबंधित कार्य	
प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूखम-सिंचाई का प्रावधान, एवं दीपसे से जल की निकासी को कम करने के लिए वनीकरण, वन परिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जीवन, वॉटरशेड विकास, आदि।	
क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय		
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि	
समग्र शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पेयजल आपूर्ति का प्रावधान	
आकांक्षी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ	
जिला खनिज विकास निधि (डी.एम.ए.फ.) एम.पी.एल.ए.डी.	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ	
एम.एल.ए.ए.डी. संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.)	सांस्थियकी और कार्यक्रम कार्यालयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)	अंतःग्राम अवसंरचना	
दानदाता/प्रायोजक	राज्य	अंतःग्राम अवसंरचना	
	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतःग्राम अवसंरचना	

अध्यक्ष का हस्ताक्षर: रमेश

पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर: सुश्राम पाणव

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो): सुश्राम पाणव

संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्ष: पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर:

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:


पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. शुश्रामा	961021 8118
2. शुभ्रती	96048 18747
3. श्रीना	804821 8155
4. प्रिया	630891 2372
5. शामी	98312160 82

पंप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर:

रमेश

द्वारा पंचायत-फालिनपुर
न्याय पंचायत-पलिवार
पि.ओ. खण्ड-सादात, गाजीपुर


M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation,
Varanasi(U.P)